

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी -डॉ० साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -51/2024

उनवान:-

1. शिवप्रकाश पुत्र मुंशीलाल जाति ब्राम्हण निवासी पिनाहट रोड राजाखेडा
2. ओमप्रकाश पुत्र भगवानसिंह
3. श्री निवासी पुत्र भगवानसिंह
जातिगण ब्राम्हण निवासी ग्राम सांडा तहसील धौलपुर
4. कमलेश पत्नि सुरेन्द्र कुमार दीक्षित जाति ब्राम्हण निवासी मधुवन कॉलोनी 220 के.बी.
के सामने धौलपुर
5. नाबा० कुमारी पूनम पुत्र मनोज कुमार संरक्षक सरपरस्त बाबा भीखाराम जाति ब्राम्हण
निवासी गडरपुरा
6. जयप्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र जाति ब्राम्हण निवासी गौशाला धौलपुर
7. दिनेश कुमार पुत्र देवीकान्त जाति ब्राम्हण निवासी खुडिला तहसील राजाखेडा
8. पुष्पादेवी पत्नि हरीसिंह राना जाति जाट निवासी ग्राण्डील मौहल्ला धौलपुर
9. शशी पत्नि गिराज शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर
10. शिवराज पुत्र प्रेमसिंह जाति ब्राम्हण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर
11. सचिन पुत्र वीरेन्द्र कुमार जैन जाति जैन खरन्जा रोड धौलपुर
12. सुशील कुमार पुत्र जगन प्रसाद पाठक जाति ब्राम्हण निवासी खंरजा रोड धौलपुर
13. सोनू पुत्र विशम्बर दयाल जाति वैश्य निवासी राजाखेडा बाईपास धौलपुर

-----प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

-----असल अप्रार्थी

2. सत्यवती बेवा गिरीश
3. शिवानी
4. सुमन
5. अंजली
6. विवेक शर्मा

पिसरान गिरीश जाति ब्राम्हण निवासी बसई कारे तहसील राजाखेडा

-----तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 129 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:-

1. श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

दिनांक:-15.07.2024

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1258 वाके ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.05.22 को खसरा नम्बर 1258 वाके ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर की विधिवत् रूप से अन्य खातेदारान की मौजूदगी में तहसीलदार धौलपुर से पैमाईश कराई तथा उक्त खसरा की सीमाओं पर निशानात कायम करवाए, जो आज भी मौजूद है। अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व तहसीलदार धौलपुर से पत्थरगढी हेतु निवेदन किया तो उन्होने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से आदेश लेकर आओ तब पत्थरगढी करवाऊंगा। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी ख.नं. 1258 वाके ग्राम लुहारी की मुताबिक पैमाईश पत्थर गढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1258 वाके ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर की मुताबिक पैमाईश पत्थरगढी करवाई जावे।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकारते हुए पत्थरगढी करवाया जाना उचित बताया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 1258 वाके ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर की पत्थरगढी करवाए जाने का कथन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2076-2079 ग्राम लुहारी, खसरा नक्शा की प्रति, सीमाज्ञान मौका पर्चा दिनांक 30.05.2022 पेश की।

वकील वादी को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् तहसीलदार धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 1258 वाके ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर की नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




(~~उपखण्ड अधिकारी~~)
उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर